न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवान–प्रभूदयाल पुत्र श्रीचन्द मीना बनाम किशनलाल पुत्र मांगीलाल व अन्य निवासी ग्राम टोण्ड किस्म प्रकरण– रिव्यू प्रा.पत्र **प्रकरण संख्या 15/2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
27.5.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.5.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नजर सानी पर आज दिनांक 27.5.2019 को वकील प्रार्थी को सुना गया। दौराने सुनवायी वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 20.5.2019 को स्वंय प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर श्रीमान के न्यायालय मे जैरकार रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 17/2015 बउनवानी प्रभूदयाल बनाम किशनलाल वगै. को नोट प्रेस में खारिज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2019 को आदेश पारित कर प्रार्थी का उक्त प्रकरण संख्या 17/2015 को खारिज कर दिया गया है। यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.5.2019 को जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था वह सहवन से अन्यत्र मुकदमे के आधार पर लिखकर उक्त उनवानी मुकदमे में नोट प्रेस कर प्रार्थना पत्र बोनाफाईड मिस्टेक से पेश हो गया है जिसपर श्रीमान द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस मे खारिज कर दिया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि इस मुकदमें जिस आदेश को शुन्य कराना है उसको कहीं पर भी चुनौती नही दी गयी है। और इसलिए इसको मेरिट पर बहस सुनकर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 17/2015 को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5.2019 एवं आदेशिका दिनांक 20.5.2019 एवं 22.5.2019 का पुनः अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 20.5.2019 पर प्रार्थी प्रभूलाल एवं प्रार्थी वकील के हस्ताक्षर मौजूद है तथा वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 20.5.2019 पर " Not Press किया जाता है " शब्द स्पष्ट अंकित किया है तथा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5.2019 में भी कारण सहित तथ्य अंकित कर रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 17/2015 को नोट प्रेस करने बाबत निवेदन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने के दो दिन बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया गया है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 17/2015 प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील के निवेदन पर ही नोट प्रेस करने के कारण खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी की ओर से दिनांक 23.5.2019 को प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र दर्ज स्तर पर ही खारिज किया जाता है। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रकरण अपील नामा0 संख्या 17/2010 बउनवानी किशनलाल बनाम प्रभू लाल मे पारित निर्णय दिनांक 7.7.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है। न्यायहित में प्रार्थी को निर्णय दिनांक 7.7.2015 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र संख्या 17/2015 की मिसल मे हमफीता किया जावे। हस्ता (डॉ0एस0पी0सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:27:29 IST
Reason: SelfAttested